झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

षष्ठम् झारखण्ड विधान–सभा
संख्या–04

षष्ठम् (मॉनसून) सत्र
मंगलवार, दिनांक–11अगस्त, 2026 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 02.28 बजे अप० तक।
(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही पक्ष एवं विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यगण के बीच तीखी नोंकझोंक, आरोप–प्रत्यारोप तथा इसी बीच विपक्षी सदस्यों के वेल में आकर छात्रों पर प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन तत्पश्चात् उत्पन्न अव्यवस्था, भारी शोरगुल के कारण सभा की कार्यवाही 12.00 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित कर दी गयी जिस कारण प्रश्नकाल नहीं लिये जा सके।)

(स्थगनोपरांत)
(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)
(शोरगुल)

1.शून्यकालः–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की स्वीकृत सभी सूचनाएँ पढ़ा हुआ मानते हुए सम्बन्धित विभाग को भेजने का निदेश आसन से दिया गया।

2.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना–

आसन की अनुमति से श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा "भारत का संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में, **"भारत का नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का मार्च–2023 को समाप्त अवधि के लिए राज्य राजस्व प्रतिवेदन (झारखण्ड सरकार, वर्ष–2026 का प्रतिवेदन संख्या–04 (निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा–राजस्व),**

भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन (झारखण्ड सरकार, वर्ष–2026 का प्रतिवेदन संख्या–2) (निष्पादन लेखा परीक्षा),

भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा (राजस्व) पर प्रतिवेदन (झारखण्ड सरकार, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या–1) (अनुपालन लेखा परीक्षा–राजस्व),

भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए (झारखण्ड सरकार, वर्ष–2026 का प्रतिवेदन संख्या–3)(राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन),

भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का झारखण्ड में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन और झारखण्ड में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या–5 (संयुक्त निष्पादन लेखा परीक्षा–सिविल), जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु

भारत सरकार के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखा गया,

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सभा पटल पर उपस्थापित किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो," को सदन पटल पर रखा गया जो ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

(सदन में भारी शोरगुल एवं अव्यवस्था के कारण 12.08 बजे अप० में आसन द्वारा सभा की कार्यवाही 02.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।)

(स्थगनोपरांत)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

3.विधायी कार्य:–

"झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026"

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड–02, खण्ड–01, प्रस्तावना तथा नाम बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् **"झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026"** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

4.आसन से घोषणा:–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–263(1) के तहत चलते सत्र के दौरान दिनांक–06.08.2026 से दिनांक–10.08.2026 तक कुल–19 निवेदनों को स्वीकृत किया गया जिसपर सदन की सहमति के उपरांत सम्बन्धित विभागों को भेजे जाने सम्बन्धी घोषणा आसन से की गयी।

माननीय मुख्यमंत्री सह सदन नेता, श्री हेमन्त सोरेन ने विगत दिनों से चल रहे छात्रों की माँगों के सम्बन्ध में सरकार के पक्ष को विस्तारपूर्वक रखा।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा सत्र को अनिश्चित काल के स्थगित किये जाने के प्रस्ताव पर आसन द्वारा सहमति जताते हुए सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

राँची,
दिनांक–11 अगस्त, 2026 ई०।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।